

केंद्रीय संसदीय
समिति के
प्रमुख सचिव।

अद्वैत शासनामा: 701/43-2--2009-14/2(3)/१४
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-२
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ : दिनांक ९५ अप्रैल, 2009
गोपनीय

दिल्ली महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनाओं को प्रत्येक लोक प्राधिकरण को मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक दायता है। शासन रत्तर पर अब तक 33 विभागों द्वारा पूर्ण सूचना व 33 विभागों द्वारा आंशिक सूचना अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराई गई है।

इसी कम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइटों में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की गई सूचनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। अनुश्रवण के दोरान यह संज्ञान में आया है कि हमें विभागों की वेबसाइट खुलने में तकनीकी समस्या यथा— वेबसाइटों का न खुलना, विवरण का हिंदी भाषा में न प्रदर्शित होना, common font में सूचना का अपलोड न होना, PDF फाइल का न खुल पाना आदि समस्यायें आती हैं जिसके लिए विभागीय सूचनाओं को डाउनलोड किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

आतः आपसे अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया समय-समय पर अपनी विभागीय वेबसाइट का स्वयं अवलोकन कर उसे अद्यतन करें तथा तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

भवती
(केंद्रीय संसदीय)
रामरत्न प्रमुख सचिव/सचिव,
(नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

Search easy on www.bharat�र्मshashtra.org